



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन ख वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-cepwdur@gmail.com

Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्र सं०:- 1170 / 47व्यख-सा0 / 2020

दिनांक 19.10.2023

'कार्यालय ज्ञाप'

शासनादेश सं०-153/ XXX(2)/2015-3(2)2010 दिनांक 09.04.2015 एवं शासनादेश संख्या 1333/ 111(1)/15-190 (PWD)/01 टी०सी०-IV दिनांक 01.09.2016, में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं शा०सं०-94/XXX(2)/2020-55(47)/2004 दिनांक-18.03.2020 के क्रम में वृत्तीय संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारी के स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पद पर निम्न प्रधान सहायक की प्रशासनिक अधिकारी के पद वेतन लेवल-07 वेतनमान-44,900-1,42,400 (पूर्व वेतनमान ₹ 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹ 4600.00) में निम्नवत् पदोन्नति/तैनाती एतद्वारा की जाती है।

क०सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान में तैनाती कार्यालय का नाम	नवीन तैनाती कार्यालय का नाम
1	श्री मदन सिंह रौथाण	सिविल वृत्त लो०नि०वि० हरिद्वार	सिविल वृत्त लो०नि०वि० हरिद्वार
2	श्री पुलम लाल	08वां वृत्त लो०नि०वि० टिहरी	छठवां वृत्त लो०नि०वि० उत्तरकाशी
3	श्री योगेश चन्द्र बैला	द्वितीय वृत्त लो०नि०वि०, नैनीताल	तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़
4	श्री विजय ब्यास	छठवां वृत्त लो०नि०वि० उत्तरकाशी	11वां वि०/या० वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
5	श्री हरीश सिंह	सातवां वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर	सातवां वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर
6	श्री सोहन सिंह	12वां वृत्त लो०नि०वि० पौड़ी	12वां वृत्त लो०नि०वि० पौड़ी

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। पदोन्नत पद पर दिनांक-30/10/2023 तक योगदान करना अनिवार्य होगा, निर्धारित तिथि तक योगदान न करने पर यह पदोन्नति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। पदोन्नति त्याग करने वाले कार्मिक पर शासनादेश संख्या 223/XXX(2)/2020-30(22)/2018 दिनांक 07.08.2020 के प्राविधान लागू होंगे। तथा वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश सं० 88085/ XXVII(7)/E-43634/2022 दिनांक 03 जनवरी 2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार "वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 22(ए)(1) एवं 22 (बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया विकल्प अन्तिम होगा।" उक्त पदोन्नति योगदान की तिथि से मान्य होगी।

आज्ञा से

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2-मुख्य अभियन्ता(अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून/मुख्य अभियन्ता, दे० की. नि. नि. नि. दे. _____
- 3-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी _____।
- 4-अधीक्षण अभियन्ता,.....वां वृत्त, लो०नि०वि०.।
- 5-श्री....., प्रधान सहायक,वां वृत्त, लो०नि०वि०,.....।
- 6-गार्ड फ़ाइल।

(इं० ओम प्रकाश) 19/10/23

मुख्य अभियन्ता(अधिष्ठान)